

23/2

पभावली
T-D-L
पभावली

पत्र हुआ वकील जार्ज डी
रिपोर्ट डे वकील जार्ज डी
13/06/17 को पत्र दे।
UP

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

पभावली पत्र हुआ। वकील जार्ज डी उपखण्ड।
 वकील जार्ज डी को सुना। जार्ज वकील जार्ज डी
 के अनुसार रुक राव 1/2016 उनका
 अपरसिंह बनाम इंदरसिंह वसंत ठाकुरा डेड
 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त
 उनका प्रकरण में प्रारम्भिक डिमी कायम करने
 के उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार
 बसवा को उक्त भूमि बाबत कुरैजात मंगवाने के
 आदेश प्रदान किये गये। न्यायालय हाजा के
 आदेशानुसार हल्का पटवारी व गिरदावर ने मौके
 पर दिनांक: 3.6.2016 ग्राम- नन्देस में विकास
 भूमि का मौके पर जाकर कुरैजात तैयार किये गये।
 दिनांक: 3.6.2016 को हल्का पटवारी व तहसीलदार
 बसवा द्वारा जो कुरैजात मौके पर बनाये गये उसमें
 ख-नं. 272 रुकवा 14 एअर बरानी भवरजी पुत्र
 रूपसिंह जाट-राजपूत साठ डेड खातेदार को शील
 की लकी में होने के बजाय ग्राम- नन्देस में
 दर्जित कर दिया जो कायम गलत है उक्त कुरैजात
 के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण
 निर्मित कर दिया गया। व फाइनल डिमी दिनांक
 9.6.2017 को निर्मित कर दिया। उक्त प्रकरण में

पार्थी अँवरसिंह के हक में जो ग्राम ख.नं. 272
 रुक. 14 एकर कारणी हिस्से में डाला है। वह
 ग्राम झील की बगी में स्थित है। नन्देरा में
 जलत डवा दिया गया है। जो कानून, विधि व
 लक्ष्मी के विधी है। विषयगत ग्राम ख.नं. 272
 राजस्व जमावारी संवत् 2074-77 खाल सं. नमा-
 63 पुराना - 62 में ग्राम का काम झील की बगी
 स्थित है। जो पटवारी हल्का पटवारीदार ने
 सहबन से झील की बगी की कानून नन्देरा में
 डाला है। क्र. नं. कुरैजाट दिनांक : 3.06.2016
 ग्राम- नंदेरा में अँवरसिंह पुत्र सुपसिंह जहाँ राजपुर
 शा. उ. डे. खोटेदार के हिस्से में ख.नं. 272 रुक.
 14 एकर को झील की बगी में जोड़ित करने के
 लक्ष्मी उदान करें।

पार्थी अँवरसिंह पत्र में वर्णित लक्ष्मी अँवरसिंह
 पटवारीदार वसवा से मौका रिपोर्ट करके राजस्व
 रिपोर्ट / मौका पत्र क्रमांक / 000 अणु / 000 ज / 2019 /
 3400 दि. 30.8.2019 प्राप्त होकर शामिल
 पत्रावली दिया गया। जिसके संलग्न राजस्व
 जमावारी संवत् - 2074-77 खाल सं. नमा - 63
 पुराना - 62 के ख.नं. 272 रुक. - 0.28 है।
 ग्राम - झील की बगी लक्ष्मी अँवरसिंह स्थित डवा
 रिपोर्ट है इसी अंशु रूप संशोधित कुरैजाट
 प्रस्ताव मम नमा इस संलग्न प्राप्त हुए हैं।
 आयालय हाज. डाय. अनवानी प्रकरण - अँवरसिंह
 वनाम इन्टरसिंह ख. सं. 11/2016 में पारित
 अंतिम निर्णय दिनांक : 9-6-2017 में खोटेदार
 अँवरसिंह व इन्टरसिंह के हिस्से में डवा ख.नं.
 272 की रुक. 0.14 है व ख.नं. 272 की

1070
Mob. 9

तारीख
हुकम

रकबा ०-१५ हेक्टर ग्राम नंदेरा तह- वसवा स्थित होना जोडित किया हो जबकि आर्षी जायना पत्र एवं तहसीलदार वसवा से उत्तर संशोधित रिपोर्ट संलग्न जमाबन्दी के अनुसार उक्त कर्तबखाने ग्राम- झील की ढाँची स्थित होना उक्त होना प्रमाणित हो आर्षी जायना पत्र क्रमांक - 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से न्यायद्वारा स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि न्यायालय द्वारा के आदेश 1/2016 उन्वानी- अकरसिंह वसवा इन्दरसिंह में निर्णय दि. 9/6/2017 में अकरसिंह पुत्र रुपासिंह जाट- यजपुत्र साठडे के खोले में उक्त खसरा नंबर 272 सी० रकबा ०-१५ हेक्टर ग्राम- नंदेरा के स्थान पर झील की ढाँची किया जाता है। इसी तरह इन्दरसिंह पुत्र रुपासिंह जाट- यजपुत्र साठडे के खोले में उक्त खसरा नंबर 272 सी० रकबा ०-१५ हेक्टर ग्राम- नंदेरा के स्थान पर ग्राम- झील की ढाँची किया जाता है। उक्त निर्णय व डिक्री इजाजत पत्रावत रहेगा। संशोधित डिक्री जारी हो। तहसीलदार वसवा संशोधित निर्णय डिक्री के अनुसार डिक्री की विधिवत पालना करे। वसवी जारी हो। फावली फौजामुक्त होकर काउन्सिल दाखिल दफ्तर हो।

उपखाण्ड अधिकारी

बादीकेई

50 विधि
2017

13/09/19

भैर सिंह

वाद सं० 01/2016

श्रीमान्नी,

११

यह है

का ए

मे वा

निर्ण

१२

यह

कर

उक्त

उक्त

व वि

वि

तय